FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0142 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/07/2024 18:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:50 बजे **Time To (समय तक):** 17:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2024 **Time (समय):** 17:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/07/2024 18:13:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 28 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** JILAI ROAD, RAILWAY CROSSING KE PAS, NEWAI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GIRIRAJ MAL SAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GAJANAND SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DANGERTHAL, NEWAI, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DANGERTHAL, NEWAI, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR BAIRWA		पिता:GOPAL LAL BAIRWA	1. MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN,

. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं गिर्राज मल सैनी पुत्र श्री गजानन्द सैनी जाति माली उम्र 28 साल निवासी डांगरथल पुलिस थाना निवाई जिला टोक का रहने वाला हु। मैं अपने गॉव में प्राईवेट स्कूल में पढाता हु। मेरे पिताजी श्री गजानन्द जी के नाम ग्राम डॉगरथल में खसरा संख्या 3077/5 रकबा 5 बीघा व खसरा संख्या 3077/7 रकबा 5 बीघा भूमी है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी निवाई के प्रकरण संख्या 171/2022 गजानन्द बनाम जगदीश में आदेश दिनांक 10.08.2023 के क्रम में दिनांक 01.04.2024 में श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील निवाई के नाम मेरे पिताजी ने एक प्रार्थना पत्र हमारी भूमी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु दिया था। जिस पर तहसीलदार साहब ने गिरदावर साहब डांगरथल को आदेशित किया था। जिस पर मैं दिनांक 06.05.2024 को चाय की दुकान पर श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा गिरदावर डांगरथल से मिला तथा हमारी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में बातचीत की तो कहने लगा कि 60000 रूपये देगा तब तेरी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करूगॉ। मैने गिरदावर साहब से कहॉ कि किस बात के 60000 रूपये लगेगे तो कहने लगा कि मेरी टीम मौके पर जाकर तेरी जमीन का सीमाज्ञान कर पत्थनगढी करेगी तो उसका खर्चो देना पडेगा। तब मैने गिरदावर जी से कहा कि मेरे खेत के सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के न्यायालय के आदेश है तो कहने लगा कि ऐसे न्यायालय के आदेश कई आते है अगर तुझे तेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराना है तो तुझे 60000 रूपये देने पडेगे। उसके बाद मैं वहॉ से चला गया था। लगभग 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी उन्होने मेरी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही की है। श्री सुरेन्द्र सिंह जी गिरदावर साहब ने मुझे आज तहसील निवाई पर बुलाया है जो मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हु। श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक से मेरी कोई रंजीश व पैसो का लेन-देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी गिर्राज मल सैनी पुत्र श्री गजानन्द सैनी जाति माली उम्र 28 साल निवासी डांगरथल पुलिस थाना निवाई जिला टोक मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक दिनांक 13.05.2024 समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी पुत्र श्री गजानन्द सैनी जाति माली उम्र 28 साल निवासी डांगरथल पुलिस थाना निवाई जिला टोक ने ए.सी.बी. चौकी टोक पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि, मैं ग्राम डांगरथल पुलिस थाना निवाई जिला टोक का रहने वाला हु। मैं अपने गॉव में प्राईवेट स्कूल में पढाता हु। मेरे पिताजी श्री गजानन्द जी के नाम ग्राम डॉगरथल में खसरा संख्या 3077/5 रकबा 5 बीघा व खसरा संख्या 3077/7 रकबा 5 बीघा भूमी है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी निवाई के प्रकरण संख्या 171/2022 गजानन्द बनाम जगदीश में आदेश दिनांक 10.08.2023 के क्रम में दिनांक 01.04.2024 में श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील निवाई के नाम मेरे पिताजी ने एक प्रार्थना पत्र हमारी भूमी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु दिया था। जिस पर तहसीलदार साहब ने गिरदावर साहब डांगरथल को आदेशित किया था। जिस पर मैं दिनांक 06.05.2024 को चाय की दुकान पर श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा गिरदावर डांगरथल से मिला तथा हमारी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में बातचीत की तो कहने लगा कि 60000 रूपये देगा तब तेरी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करूगॉ। मैने गिरदावर साहब से कहॉ कि किस बात के 60000 रूपये लगेगे तो कहने लगा कि मेरी टीम मौके पर जाकर तेरी जमीन का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करेगी तो उसका खर्चो देना पडेगा। तब मैने गिरदावर जी से कहा कि मेरे खेत के सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के न्यायालय के आदेश है तो कहने लगा कि ऐसे न्यायालय के आदेश कई आते है अगर तुझे तेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराना है तो तुझे 60000 रूपये देने पडेगे। उसके बाद मैं वहॉ से चला गया था। लगभग 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी उन्होने मेरी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही की है। श्री सुरेन्द्र सिंह जी गिरदावर साहब ने मुझे आज तहसील निवाई पर बुलाया है जो मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हु। श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब डॉगरथल तहसील निवाई जिला टोक से मेरी कोई रंजीश व पैसो का लेन-देन नही है। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो

की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड तथा उपखण्ड अधिकारी निवाई के आदेश की प्रति, तहसीलदार निवाई को पेश प्रार्थना पत्र की प्रति व अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 1.30 पी.एम. पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "श्री सुरेन्द्र जी गिरदावर साहब ने मुझे आज तहसील निवाई पर बुलाया है। मैं गिरदावर साहब से हमारी जमीन के सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में बातचीत करूगाँ तथा उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की भी वार्ता कर लूंगा। अतः श्री जलसिंह कानि. 248 को तलब किया गया। कानिस्टेबल व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस की गई। जलसिंह कानि. 248 को वायस रिकार्डर सुपर्द किया गया। परिवादी एवं जलसिंह कानि. को समय 1.40 पी.एम. पर उचित हिदायत कर निवाई रवाना किया गया। समय 6.30 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 मय परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी के उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आया तथा श्री जलसिंह कानिस्टेबल ने वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं व जलसिंह जी कानिस्टेबल साहब आपके पास से रवाना होकर झिलाई पुलिया के नीचे पहुचे। मैने गिरदावर साहब को फोन किया तो उन्होने आधे घंटे बाद कॉल करने हेतु कहाँ जिस पर मैने दुबारा आधे घंटे बाद कॉल किया तो उन्होने मुझे समय 4.30 व 5 बजे के बीच में कालुलाल पटवारी साहब के मकान पर आने हेतु कहाँ। मैने यह बात जलसिंह जी को बताई। मैं व जलसिंह जी झिलाई पुलिया के नीचे ही बैठे रहे। समय 4.30 पी.एम. पर जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर चालू करके मुझे देकर गिरदावार साहब के पास भेजा था। मैं जलसिंह जी के पास से रवाना होकर गिरदावर साहब द्वारा बताये हुऐ स्थान पर पहुचा। जहाँ पर श्री सुरेन्द्र सिंह जी गिरदावर साहब उपस्थित मिले। जिन्होने मुझसे कहाँ कि मै तुम्हारा ऑर्डर कब का निकाल देता तो मैने कहाँ कि निकाल देते ना क्यो परेशान कर रखा है। इस पर गिरदावर साहब ने मुझसे पूर्व में मांगे 60 हजार रूपये रिश्वत के क्रम में मेरे द्वारा कम करने की कहने पर उन्होने मुझसे कहाँ कि तु ही बता दे तो मैने कहाँ कि मैं 30 हजार रूपये दे दूंगा। जिस पर गिरदावर साहब ने कहाँ कि 40 कर देना। न तेरे और न मेरे। आधे कल दे देना तथा बाकी काम होने पर दे देना। फिर मैने गिरदावर साहब से कहाँ कि मेरे कल तो मायरा भरने का काम है तो कहने लगे कि परसो आ जाना । तेरा काम हो जायेगा। फिर मै वहाँ से रवाना होकर जलसिंह जी के पास आया था तथा मैने वायस रिकार्डर श्री जलसिंह जी को दिया था। जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया था। मैंने जलसिंह जी को पूरी बात बताई थी। मैं व जलसिंह जी रवाना होकर आपके पास आये है। गिरदावर साहब ने अपनी मांग के अनुसरण में मेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की एवज में 40000 रूपये रिश्वत राशि तय कर मांग की है और आधे 20000 रूपये परसो देने हेतु कहा है तथा शेष 20000 रूपये काम होने के बाद देने हेतु कहा है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. जलसिंह से परिवादी द्वारा दी गयी जानकारी के बारे में पूछा तो कानिस्टेबल श्री जलसिंह ने परिवादी के कथनो की ताईद की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. श्री जलसिंह द्वारा पेश वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्टि हो चुकी है। सरकारी वायस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 6.50 पी.एम. पर परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे परिवार में शादी है जिसमें कल हमारे परिवार वाले भात भरने जायेगे। मुझे गिरदावर साहब ने परसो बुलाया है लेकिन उन्होने आने से पहले फोन करने हेतु कहाँ है। मैं परसो भी शादी में रह सकता हु। इस कारण मैं आपके कार्यालय पर सोमवार तक आउगाँ। अगर मेरे पास गिरदावर साहब का फोन आयेगा तो मै उनको भी सोमवार को मिलने हेतु कह दूंगा। परिवादी से समझाईस की गई कि आप जब भी कार्यालय हाजा पर आये तब रिश्वति राशि साथ लेकर आवे। समय 7 पी.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 05.06.2024 समय 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी पुत्र श्री गजानन्द सैनी जाति माली उम्र 28 साल निवासी डांगरथल पुलिस थाना निवाई जिला टोक उपस्थित कार्यालय आया व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 04.06.2024 मेरी श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब से बात हुयी थी तो उन्होने मुझे बताया कि तेरी जमीन के सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिये पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा है अभी जवाब नही आया है तु कल निवाई आ जाना बैठकर बात करेगे। मैने पहले भी कई बार उनसे बात की तो उन्होने काम से बाहर होना बताया था तथा मेरे स्वंय के एग्जाम व घर पर जरूरी कार्य होने से मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नही आ सका। मैने आज भी श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब से बात की तो उन्होने अभी निवाई से बाहर होना बताया तथा थोडी देर बाद निवाई आने पर कॉल करने हेतु कहाँ। श्री सुरेन्द्र सिंह जी गिरदावर साहब मुझे आज निवाई में रिश्वत देने हेतु ही बुलाया है मैं उनसे जैसे ही मिलूंगा वह मुझसे पूर्व में तय की गई रिश्वत राशि 20000 रूपये लेगे । समय 11.15 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड टोक के नाम पत्र जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 11.40

ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 हमराह कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामदास जाति हरिजन उम्र 28 साल निवासी ग्राम ककोड पुलिस थाना बनेठा जिला टोक हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय टोंक, मो0नं0 व 2. श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा उम्र 32 साल जाति- मीणा निवासी सी-334 4सी स्कीम होटल हर्ष के पास माचेडा रोड, रोड नम्बर 14 जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जल संसाधन खण्ड, टोंक मो0न0 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2024 को गवाहान को पढाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 13.05.2024 को हुयी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय की कार्यालय आलमारी से निकाल कर चालू कर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादी व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 12.05 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जलिंसह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 3 खाली सीडीयों में राईट किया गया तथा जिसमें से 2 सीडियॉ न्यायालय व आरोपी हेतु पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए-1, ए-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। उपरोक्त शील्डशुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। समय 1.25 पीएम पर परिवादी गिर्राज मल सैनी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आकर बताया कि मेरी अभी श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब से बात हुयी है उन्होने मुझसे कहॉ कि अभी मैं किसी काम से गुंशी आया हुआ हु शाम को करीब 5 बजे के आस-पास निवाई आउगॉ वहॉ पर मिल जाउगॉ। समय 1.40 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड KDM 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त शील्डशुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 3 पी.एम. पर परिवादी गिर्राज मल सैनी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि. चालक 375 से लगवाया जाकर परिवादी गिर्राज मल सैनी की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री कमलेश कुमार मीना से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडी गई। रिश्वत राशि परिवादी गिर्राज मल माली के पहनी हुयी पेन्ट की दायी जेब में कोई वस्तु/सामान नही छोडते हुए श्री गणेश सिंह कानि. चालक 375 से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई तथा परिवादी को सिर पर हाथ फेरने का रिश्वत लेन-देन का ईशारा करने की समझाईस की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 3.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी व जलसिह कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से, तथा मन अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री मौ0जुनैद हैड कानि0 32, श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी , श्री राजकुमार कानि0 160, श्री अजीत सिंह कानि. 56, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, व गवाहान श्री कमलेश कुमार मीना व श्री विनोद कुमार मय तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, प्रिन्टर, वायस रिकार्डर को साथ लेकर मय प्राईवेट वाहनो से निवाई के लिये रवाना हुआ। श्री गणेश सिंह कानि. 375 को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 4.45 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के झिलाई पुलिया पर पहुचा। जहॉ पर परिवादी गिर्राज मल सैनी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रास्ते में मेरी श्री सुरेन्द्र सिंह गिरदावर साहब से मोबाईल पर बात हुयी है उन्होने मुझे निवाई सुभाष गार्डन के पास स्थित चाय की थडी पर आने हेतु कहॉ है। इस पर श्री जलसिंह कानि. 248 से वायस रिकार्डर चालू करवाकर रिश्वत लेन-देन हेतु परिवादी को आरोपी सुरेन्द्र सिंह गिरदावर के पास रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनो के परिवादी के पिछे-पिछे रवाना हुआ। समय 5 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवट वाहनो के परिवादी के पिछे-पिछे सुभाष गार्डन के पास स्थित चाय की थडी निवाई पहुचे। जहॉ कुछ दूरी पर परिवादी चाय की होटल पर बैठ गया तथा हम सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये रिश्वत राशि लेन-देन निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 5.15 पी.एम. पर परिवादी गिर्राज मल सैनी चाय की दुकान से उठकर रेल्वे पाटक की और पैदल-पैदल जाते हुये मुझे भी पीछे-पीछे आने का ईशारा किया इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पिछे-पिछे रवाना हुआ। परिवादी रेल्वे फाटक जो ट्रेन आने के कारण बंद थी और फाटक पर खडी

ब्लेक कलर की वरना गाडी में बैठ गया, उस समय रेल्वे पाटक लगी हुयी थी। जैसे ही रेल्वे फाटक खुली तथा परिवादी ने कार से बाहर उतरकर रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुचा जहाॅ पर कार को साईड में खडा करवाकर परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं चाय की दुकान पर बैठा था तब श्री सुरेन्द्र सिंह जी गिरदावर साहब का फोन आया तथा मुझे रेल्वे पाटक के पास काली गाडी के पास आने हेतु कहाॅ जिस पर मैं चाय की दुकान से पैदल-पैदल रवाना हुआ तथा आपको मेरे पीछे-पीछे आने हेतु ईशारा किया तथा मैं रेल्वे फाटक के पास पहुचा जहाॅ गिरदावर साहब ने मुझे उनके साथ कार में बैठा लिया। मैने गिरदावर साहब से अपने काम के लिये कहाॅ तो उन्होने काम कर देने हेतु कहाॅ तथा मुझसे रिश्वत राशि देने हेतु नही कहाॅ, ना ही गिरदावर साहब ने रिश्वत राशि मांगी। श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने मुझसे रिश्वत नही ली है। रेल्वे फाटक खुल जाने तथा वाहनो के चलने के कारण मै जैसे ही कार से निकला तो गलती से मैने अपने सिर पर हाथ फेर दिया। इस पर आरोपी को थोडा आगे झिलाई पुलिया के पास एकान्त में ले जाकर आरोपी का अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आरोपी से उसका नाम पूछा तो आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार बैरवा गिरदावर तहसील निवाई होना बताया। सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मैने परिवादी से कोई रिश्वत नही ली है नाहि मैंने परिवादी से रिश्वत मांगी है। गिर्राज मल सैनी मेरे आज सुबह से फोन कर रहा था तथा मिलने हेतु कह रहा था तो मैने इससे कहाॅ कि मैं अभी गुंशी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने आया हु शाम को 5 बजे के आस-पास निवाई आउगाॅ तब मिल लेना। इस पर अभी इसने फोन किया तो मैने इसको कार में बैठाकर बातचीत की तो इसने कहाॅ कि मेरा काम कर दो तो मैने कहाॅ कि मैने मेरी तरफ से सब काम कर रखा है जैसे ही टीम गठित होगी तेरा काम हो जायेगा। फिर गिर्राज मल सैनी कार से उतर गया। मैने परिवादी से कोई रिश्वत नही ली है नाहि परिवादी से रिश्वत मांगी। परिवादी से वायस रिकार्डर प्राप्त कर वायस रिकार्डर को सुना तो परिवादी व आरोपी के कथनो की ताईद हुयी। वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी से रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में होना बताया, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार मीना से परिवादी की पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकलवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखी गयी। परिवादी ने हडबडाहट में होकर आरोपी को बिना रिश्वत राशि दिये रिश्वत लेन-देन का ईशारा करने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी, मौके से हालात उच्चाधिकारियो से निवेदन किये तथा उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार सुरेन्द्र सिंह गिरदावर तहसील निवाई को मय कार रूकसत किया गया। समय 7.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिये रवाना हुआ। समय 8 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवट वाहनो मय कार्यालय लेपटाप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय वायस रिकार्डर के एसीबी चौकी टोंक पहुचां, अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। समय 8.15 पी.एम. पर आज दिनांक 05.06.2024 को रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जलसिंह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयों में राईट किया गया। जिसमें से 2 सीडियॉ न्यायालय व आरोपी हेतु पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी-1, बी-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 9.30 पी.एम पर रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड KDM 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम-1 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 10 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई। समय 10.30 पी0एम0 परिवादी श्री गिर्राज मल सैनी द्वारा पेश की गयी रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 20000 रूपये स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार मीना से प्राप्त कर परिवादी को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी तथा परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को बाद उचित हिदायत रूकसत किया गया। समय 10.50 पी0एम0 पर पूर्व मे कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे शील्डशुदा आर्टिकल्स मॉग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकेट मार्क "एम" व शील्डशुदा आर्टिकल्स सीडियॉ मार्क-ए-1, ए-2, व लेन-देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड का सिल्ड पैकेट मार्क एम-1, शील्डशुदा आर्टिकल्स सीडियॉ मार्क बी-1, बी-2, बतौर वजह सबूत जरिये श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. के जमा मालखाना करवाया गया। समय 11.15 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में श्री जलसिंह कानि. 248 का धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 11.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडियॉ तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेन-देन के समय हुयी वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल बैरवा जाति बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम

महवा तहसील महवा जिला दौसा हाल प्लाट नम्बर 540 वाटिका रोड, सांगानेर जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत गुंशी तहसील निवाई जिला टोक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी की ग्राम डॉगरथल में स्थित पैतृक भूमी खसरा संख्या 3077/5 रकबा 5 बीघा व खसरा संख्या 3077/7 रकबा 5 बीघा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की एवज में परिवादी गिर्राज मल सैनी से 60000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना दौराने सत्यापन 40000 रूपये रिश्वत राशि के लेने के लिए जिसमें आधा काम होने से पूर्व तथा आधे काम होने के बाद लेने हेतु सहमत होना पाया गया। आरोपी सुरेन्द्र कुमार बैरवा गिरदावर चुस्त व चालाक होने के कारण व रिश्वत राशि प्राप्त करने में सावधानी बरतने के कारणवश तथा परिवादी गिर्राज मल सैनी ने हडबडाहट में आकर जल्दबाजी करते हुये बिना रिश्वत राशि दिये हुये रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा कर दिया। जिस कारण आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान नहीं हो सका। लेकिन आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा गिरदावर तहसील निवाई ने दिनांक 13.05.2024 को वक्त मांग सत्यापन परिवादी से 40000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर लेने हेतु सहमत होना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018). का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होना पाया गया। अतः आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल बैरवा जाति बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम महवा तहसील महवा जिला दौसा हाल प्लाट नम्बर 540 वाटिका रोड, सांगानेर जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत गुंशी तहसील निवाई जिला टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम महवा तहसील महवा जिला दौसा हाल प्लाट नम्बर 540 वाटिका रोड, सांगानेर जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत गुंशी तहसील निवाई जिला टोक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा -प्रथम को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 836 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 741-44 दिनांक 13.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर । 2. जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

3. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/07/2024 18:1

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)